रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1975/आषाढ़ 5, 1897
No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1975/ASADHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 26th June, 1975

S.O. 275(E).—Whereas the Central Government is of opinion that for the purpose of securing the defence of India and civil defence, the public safety and maintenance of public order, it is necessary so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 48 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

(1) That no news, comments, rumour or other report, relating to—

(a) any contravention or alleged or purported contravention of any of the provisions of Part III, rules 31 and 33 of Part IV, rules 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 50, 51 and 52 of Part V, Part VIII and Part IX of the said Rules including orders made thereunder, or

(b) any action taken in relation to such contravention, or

(c) any action taken under the provisions of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971),

shall be published in any newspaper, periodical or other document unless such news, comments, rumour or other report has been submitted for scrutiny to an authorised officer and the publication thereof is authorised in writing by such officer.

(2) That no such publication shall be made except in accordance with such conditions or restrictions as such officer may impose.

Explanation.—In this order, "authorised officer" means the Principal Information Officer, Director, Public Relations, or Deputy Principal Information Officer in the Press Information Bureau of the Government of India at New Delhi, or a Director of Information or a Director of Public Relations of a State Government or Union territory Administration or such other officers as may be authorised in this behalf by the State Government or the administrator of a Union territory.

2. This order is hereby addressed to all printers, publishers and editors.

By order and in the name of the President,
C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1975

का० आ० 275 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, लोक सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन से ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 48 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

(1) कि कोई भी ऐसा समाचार, टिप्पणी, अफवाह अथवा अन्य रिपोर्ट जो—

(क) उक्त नियमों के भाग III के, भाग IV के नियम 31 और 33 के, भाग V के नियम 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 50, 51 और 52 के, भाग VIII और भाग IX के उपबन्धों में से किसी के, जिनके अन्तर्गत उनके अधीन बनाए गए आदेश भी हैं, उल्लंघन अथवा अभिकथित अथवा तात्पर्यित उल्लंघन से सम्बन्धित हो, अथवा

(ख) ऐसे उल्लंघन के बारे में की गई किसी कार्रवाई से सम्बन्धित हो, अथवा

(ग) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 (1971 का 26) के उपबन्धों के अधीन की गई किसी कार्रवाई से सम्बन्धित हो,

किसी भी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका अथवा अन्य दस्तावेज में तब तक प्रकाशित नहीं की जाएगी जब तक ऐसा समाचार, टिप्पणी, अफवाह या अन्य रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को संवीक्षा के लिए प्रस्तुत न कर दी गई हो और उसका प्रकाशन ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न कर दिया गया हो ।

(2) कि कोई भी ऐसा प्रकाशन, उन शर्तों और निर्बन्धनों, जिन्हें ऐसा अधिकारी अधिरोपित करें, के अनुसार ही प्रकाशित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण:—इस आदेश में "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रत है, भारत सरकार के नई दिल्ली स्थित पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान सूचना अधिकारी, जन संपर्क निदेशक अथवा उप प्रधान सूचना अधिकारी अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सूचना

निदेशक अथवा जनसंपर्क निदेशक अथवा कोई अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया हो ।

2. यह आदेश इसके द्वारा सभी मुद्रकों, प्रकाशकों और संपादकों को संबोधित किया जाता है ।

[सं० 14011/2/75-एस० एंड पी० (डी०IV)]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके
नाम में

सी० वी० नरसिम्हन,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975